प्रेस नोट

दिनांक 23 मार्च 2019 को जबलपुर में जबलपुर, शहडोल, रीवा संभागी की लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक सभा निर्वाचन के चौथे चरण में छः संसदीय क्षेत्रों से संबंधित निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में जबलपुर, शहडोल, एवं रीवा संभाग के संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं 13 जिलों के कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कांता राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप यादव, पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) श्री योगेश चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक (निर्वाचन व्यय) श्री अनंत कुमार सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) श्री जी.जी.पाण्डे, आबकारी आयुक्त श्री रजनीश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक आयकर श्री प्रशांत कुमार मिश्रा उपस्थित थे।

बैठक का शुभारंभ बैटन रीले के शुभारंभ से हुआ। यह बैटल रीले जबलपुर जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से गुजरेगी। इस बैटल रीली के माध्यम से युवा, प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाता एवं महिला मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक किया जायेगा।

उसके पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में NEON RUN के ऑन–लाईन पंजीयन पोर्टल का शुभांरभ किया गया। यह RUN दिनांक 20 अप्रैल 2019 को जबलपुर शहर में आयोजित होने वाली है।

बैठक के मुख्य बिंदू :–

1. **निर्वाचक नामावली** :– इस छहः संसदीय क्षेत्र दिनांक 22/2/2019 की स्थिति में कुल 01,17,39,044 मतदाता हैं जिसमें से 60,12,765 पुरूष मतदाता 57,26,055 महिला मतदाता एवं 224 अन्य मतदाता हैं। 22 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक 1,24,125 फार्म 6, 7, 8, 8ए प्राप्त हुए हैं। ERO NET पर कुल 1,01,754 दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया जा चुका है।

2. **मतदान केंद्र** :– इन छः संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 15,101 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन हेतु मूल–भूत सुविधाएं जैसे कि रैंप, पीने का पानी, बिजली, शौचालय फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये।

3. **EVM** :– इन छः संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हेतु EVM-VVPAT पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। EVM -VVPAT की FLC पूर्ण हो चुकी है।

4. **निर्वाचन प्रशिक्षण** :– निर्वाचन के विभिन्न कार्यों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। सभी मतदान दलों को एवं सेक्टर अधिकारियों को पर्याप्त HANDS ON प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये हैं।

5. **मानव संसाधन, निर्वाचन सामग्री एवं परिवहन व्यवस्था** : मानव संसाधन, निर्वाचन सामग्री एवं परिवहन व्यवस्था आवश्यकता अनुसार पर्याप्त उपलब्ध है।

6. **शिकायत निवारण** : निर्वाचन संबंधी समस्त प्रकार की पूछ–ताछ एवं शिकायत दर्ज करवाने हेतु सभी जिलों मे 1950 हेल्पलाईन नम्बर क्रियाशील है। अब तक इस हेल्पलाईन पर कुल 2266 कॉल आ चुकी है जिसमे 2231 का निराकरण हो चुका है। इसी प्रकार सी–विजिल पर 187 शिकायतें प्रापत हुई हैं जिनमे से 179 का निराकरण किया जा चुका है।

7. **आदर्श आचरण संहिता** : सभी जिलों में संपत्ति विरुपण अधिनियम, कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां की जा रही हैं।

8. **पुलिस बंदोबस्त** : सभी जिलों के पुलिस बंदोबस्त की समीक्षा की जाकर कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

9. **मतदाता जागरूकताः** समस्त जिलों मे मतदाता जागरूकता संबंधी किये जा रहे क्रिया–कलापों की समीक्षा की गई।

10. **अंतर राज्य एवं अंतर जिला समंवय** : विभिन्न चरणों के चुनावों को दृष्टिगत रख्ते हुए सीमावर्ती राज्यों एवं सीमावर्ती जिलों से आवश्यक समंवय स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मे जन सामान्य के माध्यम से प्राप्त शिकायतो की जानकारी (दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 22.03.2019)

स.क्र.	शिकायतो का माध्यम	कुल प्राप्त शिकायते	निराकृत शिकायते	कार्यवाही हेतू प्रचलित
1	जनसामान्य द्वारा ऑनलाईन दर्ज शिकायते (NGS)	337	288	49
2	जिला स्तरीय कॉटेक्ट सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायते (NGS)	1387	1174	213
3	आयोग के राष्ट्रीय कॉटेक्ट सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायते (NGS)	369	319	50
4	राज्य स्तरीय कॉटेक्ट सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायते (NGS)	876	640	236
5	सीधे प्राप्त शिकायते	423	386	37
6	राजनैतिक दलो से प्राप्त शिकायते	323	266	57
कुल प्राप्त शिकायते		**3715**	**3073**	**642**